# फर्द अहकाम

## सोहनलाल बनाम राजस्थान सरकार

ना पत्र संख्याः 302 / 2024

| ांक | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
| --- | --- | --- |
| 09.2024 | प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बावत 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया बहस प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी सोहनलाल पुत्र गणेश जाति बैरवा का नाम ग्राम मुहाना के खाता 128 मे पिताजी का विरासत का नामान्तकरण खोलते समय सहवन से सोनीलाल हो गया था। अतः मेरा नाम ग्राम मुहाना के खाता संख्या 128 में सोनीलाल पुत्र गणेश जाति बैरवा के बजाय सोहनलाल पुत्र गणेश जाति बैरवा शुद्ध करने की कृपा करे।<br><br>बहस प्रार्थी एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन कराने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को वाके ग्राम मुहाना खाता संख्या 128 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत दर्ज नाम सोनीलाल पुत्र गणेश जाति बैरवा के बजाय सोहनलाल पुत्र गणेश जाति बैरवा शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है।<br><br>निर्णय आज दिनांक 27.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>जयपुर द्वितीय (सांगानेर) | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 13:04:41 IST
Reason: SelfAttested